न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 12/2021

अपीलांट :—	बनाम	रेस्पोडेन्टान :—
01. कमलीदेवी पुत्री हजारी उर्फ हरीराम पत्नी पेमाराम मेघवाल नियासी— अटबड़ा, तहसील— सोजत, जिला— पाली।		01. भुण्डाराम पुत्र हरीराम 02. बिरमाराम पुत्र हरीराम पत्नी पेमाराम जातियान मेघवाल निवासीयान— गुड़ारामसिंह रोड के पास, बड़ागुड़ा तहसील सोजत, जिला— पाली। 03. ग्राम पंचायत गुड़ाकलां जरिए सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ाकलां।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट बसिलसिले म्यूटेशन संख्या 384 व 426 दिनांकित 08.04.1995 व 05.09.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकलां द्वारा स्वीकृत आदेश के विरूद्ध

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 22/9/22

अधिवक्ता मय अपीलांट ने उपस्थित होकर यह म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट म्यूटेशन संख्या 384 व 426 दिनांकित 08.04.1995 व 05.09.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकलां द्वारा स्वीकृत आदेश के विरूद्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुडाकलां तहसील सोजत के जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार खाता संख्या 253 के खसरा नंबर 704 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नंबर 727 रकबा 1.200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 728 रकबा 0.6500 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.400 हैक्टर की कृषि भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता हजारी पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल के नाम की खोदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 हजारी पुत्र मोटाराम के वैध उतराधिकारी वारिसान है अर्थात अपीलाण्ट हजारी की जायन्दा पुत्री है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 जायन्दा पुत्र है तथा हजारी का व उनकी पत्नी पानीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय हजारी का निर्वसीयती स्वर्गवास होते ही अपीलाण्ट का उपरोक्त कृषि भूमि में 01/04 हक हिस्सा निहित हो चुका था। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने रेस्पोडैण्ट संख्या 03 से मिलीभगत कर राजस्व कर्मचारियों के समक्ष अपीलाण्ट को हजारी की वैध पुत्री होने के तथ्य को छुपाते हुए बिना अपीलाण्ट की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किए बाले बाले राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 384 स्वीकृत करवाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 तथा माता पानीदेवी के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज करवा दिया। तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट का जानबूझकर राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज न करवाकर पानीदेवी का स्वर्गवास होने के बाद पुनः अपने नाम जरिए नामान्तरण संख्या 416 रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत करवाकर नाम इन्द्राज करवा दिया जो नामान्तरण अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरीत शून्य एवं निष्प्रभावी है। उपरोक्त भूमि स्वर्गीय हजारी की होने से अपीलाण्ट की पैतृक पुश्तैनी भूमि होने से व अपीलाण्ट स्वर्गीय हजारी की प्रथम श्रेणी की वैध वारिस होने से उपरोक्त भूमि में हक अधिकार सृजित हो

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (राज.)

चुके थे। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 द्वारा रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम स्वीकृत नामान्तरण 384 व 416 प्रारम्भतः विधि विरूद्ध होने से इबईनिश्यो वोईड एवं अवैध है। इसलिए जैर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट ने वर्तमान में दीपावली के पर्व पर दिनांक 06.11.2021 को अपने पैतृक गांव गुड़ाकलां आई तथा रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02 से सम्पर्क कर अपनी अपील में वर्णित पैतृक कृषि भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर वैध बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया तो रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02 नाराज हो गए और अपीलाण्ट को पैतृक भूमि का बंटवाडा करने से मना कर दिया तथा एलानिया धमकियां देने लगे कि उपरोक्त कृषि भूमि में तुम्हारा कोई हक हिस्सा नही बनता है हमने तो हजारी व पानी देवी के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से मिलावट कर तुम्हारी बिना सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किए हमारे नाम म्यूटेशन करवा दिया है। अब तुम्हारा नाम खातेदार में नहीं है तुम कुछ कर नहीं कर सकती हो तथा हमने तो तुम्हारे हक हिस्से की भूमि में भी हमारा नाम दर्ज करवा दिया है जिसके आधार पर हम उक्त भूमि को भारी भरकम रकम लेकर अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण कर देंगे, तुम्हारे जो करना है कर लो, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02 को ऐसा कृत्य नहीं करने बाबत हाथाजोडी की तथा कहा कि उक्त भूमि आपकी खरीदसुदा नहीं है जबकि मेरी और आपकी पैतृक पुश्तैनी भूमि है जिसमें हम सभी का बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है लेकिन रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02 मानने को तैयार नहीं हुए तथा अपीलाण्ट का उक्त भूमि में हक हिस्सा मानने से साफ इंकार हो गए। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट मय अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 384 व 416 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11.11.2021 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से मिलावाट कर अपीलाण्ट के हक हिस्से को फर्जी व कुटरचित तरीके से हड़प करने की नियत से अपीलाण्ट का नाम रजास्व रेकर्ड में इन्द्राज न करवाकर अपने नाम इन्द्राज करवा दी। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नही थी, अपीलाण्ट अनपढ व ग्रामीण परिवेश की होने से एवं राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने से उक्त संबंध में पूर्व में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकी तथा अपीलाण्ट इसी विश्वास एवं भरोसे में रही कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा माता–पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज करवा दिया जाएगा जबकि रेस्पोटेण्ट संख्या 01 व 02द्वारा अपीलाण्ट की बिना सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किए बाले–बाले अपना नाम उपरोक्त नाान्तरण संख्या 384 व 416 के जरिए दर्ज करवा दी जिसकी जानकारी होते ही उक्त अपील श्रीमान के समक्ष बिना विलम्ब के प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही एवं उपेक्षा नही बरती है। जानकारी प्राप्त होते ही अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा जैर अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत से अपील प्रस्तुत करने तक लगे समय को कण्डोन किया जाना अपील अन्दर म्याद शुमार की जानी आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरीना अवधि को कण्डोन किये जाने की ईशतदुआ की है। अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम गुड़ाकलां के वर्तमान जमाबंदी सवत् 2051 से 2054 अनुसार खाता संख्या 253 के खसरा नंबर 704, 727, 728 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.400 हैक्टर के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 384 दिनांक 08.04.1995 व नामान्तरण संख्या 416 दिनांक

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (राज.)

05.09.1997 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के इन्द्राज किए जाने का आदेश किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिसेस वास्ते जवाब तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 वीरमराम उपस्थित होकर आदेशिका में दिनांक 17.01.2022 को अपील स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को जारी सम्मन डाक विभाग की ट्रेकिंग रिपोर्ट में आईटम डिलीवर के नोट के साथ अपीलाण्ट अधिवक्ता ने पेश किया। जो तामिल श्रेणी में आने से तामिल माना जाता है। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 3 के विरूद्ध दिनांक 22.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि ग्राम गुड़ाकलां के वर्तमान जमाबंदी सवत् 2051 से 2054 अनुसार खाता संख्या 253 के खसरा नंबर 704, 727, 728 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.400 हैक्टर की भूमि में पैतृक भूमि होने पर भी अपीलाण्ट का नाम बतौर वारिस दर्ज नही किये जाने से स्वीकृत नामान्तरण संख्या 384 दिनांक 08.04.1995 व नामान्तरण संख्या 416 दिनांक 05.09.1997 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के इन्द्राज किए जाने का आदेश किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्यूाद अधिनियम में वर्णित देरीना कारण युक्ति युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम गुडाकलां के म्यूटेशन संख्या 384, 416, जमाबंदी संवत् 2051 से 2054, 2075 से 2078, 2071 से 2074, 2067 से 2070, 2063 से 2066 की प्रमाणि प्रतियां, प्रार्थीया के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात की छायाप्रतियां पेश की। जिनका गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। अपीलाधीन भूमि पैतृक व पुश्तैनी है। जिसमें अपीलाण्ट के पिता हजारी उर्फ हरीराम तथा अपीलाण्ट की माता के देहान्त के पश्चात बतौर प्रथम श्रेणी उतराधीकारी अपीलाण्ट का नोशनल शेयर अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया जाना था जो कि उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही में नही किया गया। जिससे ग्राम पंचायत गुडाकंला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या नामान्तरण संख्या 384 दिनांक 08.04.1995 व नामान्तरण संख्या 416 दिनांक 05.09.1997 को निरस्त किया जाकर राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल. आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। सरहद मौजा गुड़ाकलां के खसरा नंबर 704, 727, 728 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.400 हैक्टर के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 384 दिनांक 08.04.1995 व नामान्तरण संख्या 416 दिनांक 05.09.1997 विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाता है कि वे ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर

प्रमाणित फोटो प्रति
उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
सोजत (राज.)

सोजत (राज.)

704, 727, 728 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.400 हैक्टर के मृतक हजारी उर्फ हरीराम पुत्र मोटा कौम मेघवाल के विधिक वारिसानों की पुनः नए सिरे से जांच करके विधिसंवत् नामान्तरकरण पारित करे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/09/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (राज.)